संख्या-015/आईटी/01-317795
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 21.06.2016

परिपत्र सं-07/06/2016

विषय: प्राथमिकता मामलों पर फास्ट ट्रेक आधार पर कार्रवाई संबंधी ।

आयोग ने सतर्कता मामलों के निपटान में हो रहे अत्यधिक विलंब को बड़ी गंभीरता के साथ लिया है तथा तदनुसार महत्वपूर्ण मामलों को प्राथमिकता पर निपटाने के लिए लिए इनपर त्वरित कार्रवाई करने का निर्णय लिया है । निम्नलिखित प्रकार के मामलों को फास्ट ट्रेक मामले समझा जाएगा :

क) ऐसे मामले जिनमें रिश्वतखोरी, सरकारी निधि का गबन, जालसाजी, 10 करोड़ रू0 से अधिक राशि वाले गबन तथा घोटाले की प्रकृति वाले ऐसे मामले शामिल हों जिन्होंने पूरे राष्ट्र की जनता का ध्यान आकर्षित कर रखा हो तथा जिनका अन्य कर्मचारियों/अधिकारियों पर भयभीत करने वाला अथवा प्रदर्शनात्मक प्रभाव होने की संभावना हो ।

ख) सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों द्वारा आयोग को भेजे गए मामले जिनका इन न्यायालयों द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है तथा मामले और प्रधानमंत्री कार्यालय/संसदीय समिति द्वारा भेजे गए ऐसे मामले जिनमें आयोग की विशिष्ट रिपोर्ट/टिप्पणी मांगी गई हो ।

ग) ऐसे मामले जिनमें दोषी अधिकारी की सेवानिवृत्ति अगले 6 माह के भीतर होनी हो तथा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के मामले में नियत अवधि के भीतर ।

घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में बोर्ड स्तर के अधिकारियों तथा केन्द्रीय सरकार एवं अखिल भारतीय सेवा में अपर सचिव तथा इससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के मामले ।

ङ) आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कोई अन्य मामला ।

2. आयोग द्वारा दिनांक 23.05.2000 के अपने परिपत्र सं0 000/वीजीएल/18 द्वारा सतर्कता मामले की विभिन्न गतिविधियों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है जैसे अन्वेषण संचालित करना तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, अन्वेषण रिपोर्ट पर कार्रवाई करना, प्रथम चरण की सलाह के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को संदर्भ भेजना, केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सलाह पर की गई कार्रवाई, आरोप-पत्र जारी करना, यदि

आवश्यक हो तो, अन्वेषणकर्ता अधिकारी/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति करना, मौखिक जांच संचालित करना, आयोग की द्वितीय चरण की सलाह के लिए मामले भेजना आदि ।

3. अत:, आयोग प्रत्येक विभाग/संगठन के फास्ट ट्रेक के लिए पहचान किए गए सतर्कता मामलों को चिन्हित करेगा । यह मुख्य सतर्कता अधिकारी तथा संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी की निजी जिम्मेदारी होगी कि प्रत्येक फास्ट ट्रेक मामले में उपर्युक्त निर्धारित समय-सीमा का पालन तथा अनुसरण किया जाए । मुख्य सतर्कता अधिकारी, फाईल संख्या डालने के बाद अपने संबंधित खातों में फास्ट ट्रेक संदर्भों को देख सकेंगे जिनपर फाइल संख्या के बाद `**एफटी**` चिन्हित होगा । अत:, मुख्य सतर्कता अधिकारियों को आयोग की वेबसाईट cvc.nic.in पर मुख्य सतर्कता अधिकारी कार्नर लिंक के अंतर्गत अपने संबंधित खाते में नियमित रूप से लॉग इन करना चाहिए तथा लंबित मामलों को देखना चाहिए ताकि निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जा सके ।

4. अत:, सभी प्रशासनिक प्राधिकारियों/अनुशासनिक प्राधिकारियों/मुख्य सतर्कता अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि शिकायतों का अन्वेषण, अन्वेषण रिपोर्टों पर कार्रवाई करने, आयोग की सलाह मांगने तथा उस पर कार्यान्वयन करने के प्रारंभ से ही फास्ट ट्रेक मामलों के रूप में नामित सभी मामलों में उपर्युक्त समय-सीमा का अनुसरण किया जाए ।

ह0-
(जे.विनोद कुमार)
निदेशक

प्रति

1. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ बीमा कंपनियों/वित्तीय संस्थानों/ संगठनों के सभी अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक/अध्यक्ष ।
3. मंत्रालयों/विभागों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ बीमा कंपनियों//वित्तीय संस्थानों/ संगठनों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।